विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के 1-शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न-10 का उत्तर।

| **प्रश्न** | **उत्तर** |
|---|---|
| 10 (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उ०प्र० में बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है? | जी हाँ। |
| (ख) यदि हॉ, तो उन्हें कितना मानदेय दिया जाता है ? | मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2017 के पश्चात् शासन के आदेश दिनांक 20.09.2017 द्वारा शिक्षामित्रों को रू० 10,000/- प्रतिमाह मानदेय का भुगतान 11 माह हेतु किया जा रहा है। |
| (ग) क्या उक्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु नियमित शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है ? | जी हॉ । |
| (घ) यदि हॉ, तो उनका वेतन कितना निर्धारित है ? | परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पद के सापेक्ष की जाती है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक को वेतनमान के लेबल-6 में वेतन बैंड रू0 9300-34800 के अंतर्गत मूल वेतन रू0 35,400/- तथा समय-समय पर लागू होने वाले मंहगाई भत्ते को सम्मिलित करते हुए वेतन का भुगतान किया जाता है। |
| (ड़) क्या समान कार्य समान वेतन के आधार पर शिक्षा मित्रों का वेतन निर्धारित कराने पर विचार करेंगे ? | परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पद के सापेक्ष की जाती है, जबकि शिक्षामित्रों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा के आधार पर 11 माह के लिए की जाती है। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न है, जिसके कारण अध्यापकों एवं शिक्षामित्रों को समान वेतन भुगतान किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। |
| (च) यदि हाँ, तो कब तक ? | उक्तवत । |
| (छ) यदि नहीं, तो क्यों ? | प्रश्न नहीं उठता । |

**संदीप सिंह**
**राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**